

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- न-5(4)पु.फो./कानि.भर्ती/11/पार्ट-3/ 5626 दिनांक:- 05.11.2012

कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक भर्ती 2012 के ऑन लाईन आवेदन के सम्बन्ध में

पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 5152 दिनांक 28.09.12 में विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन के कान्स्टेबल सामान्य एवं कान्स्टेबल ड्राइवर के विज्ञापित रिक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा शुल्क जमा कर ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 06.11.12 निर्धारित की गयी है। कान्स्टेबल भर्ती हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा विभाग द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 06.11.12 तक परीक्षा शुल्क जमा करवा कर टोकन प्राप्त कर लिये है केवल उन्हीं के ऑन-लाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि 08.11.12 तक बढ़ाई जाती है। ज्ञातव्य रहे कि दिनांक 06.11.2012 के उपरान्त कोई टोकन जारी नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति की अन्य शर्तें विज्ञप्ति संख्या 5152 दिनांक 28.09.2012 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 5372 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार यथावत रहेंगी।

महानिरीक्षक पुलिस

मुख्यालय,

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा/कारागार, राज. जयपुर।

2-समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

3-पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।

4-समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।

5-उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।

6-समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

7-समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर. मय एम.बी.सी. बटालियन।

8-निदेशक राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, योजना भवन सी स्कीम, जयपुर को इस

कार्यालय के पत्र क्रमांक 7087 दिनांक 27.09.2012 के क्रम में।

9-उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

10-संयुक्त निदेशक (प्रचार) सीआईडी (सीबी) राजस्थान, जयपुर।

11-निदेशक समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

12-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।

13-प्रभारी, राजस्थान पुलिस वैबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त सूचना

को तत्काल राजस्थान पुलिस वैबसाइट पर उपलब्ध करावें।

14-प्रभारी कम्प्यूटर सैल, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

महानिरीक्षक पुलिस

मुख्यालय,

राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- न-5(4)पु.फो./कानि.भर्ती/11/5171

दिनांक:- 01.10.2012

कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक भर्ती 2012 की विज्ञप्ति में स्पष्टीकरण

पुलिस विभाग में 10,000 कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति संख्या 5152 दिनांक 28.09.2012 जारी की गई है। विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-8 (पअ) में यह भी अंकित किया जाता है कि कान्स्टेबल चालक की आयु की गणना 01 जनवरी, 2013 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी:-

वर्ग (बंजमहवतल)	कान्स्टेबल चालक		
	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि से पहले का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	1.1.1995	2.1.87	2.1.82
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	1.1.1995	2.1.82	2.1.77
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	1.1.1995	2.1.84	2.1.79
भूतपूर्व सैनिक	1.1.1995	2.1.71	2.1.71

कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी की आयु गणना विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि अनुसार रहेगी।

महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/गृहस्था एवं नागरिक सुरक्षा/कारागार, राज. जयपुर।
- 2 समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
- 4 समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
- 5 उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
- 6 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
- 7 समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर. मय एम.बी.सी. बटालियन।
- 8 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर।
- 9 उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 10 निदेशक समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 12 प्रभारी, राजस्थान पुलिस वैबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्पष्टीकरण को तत्काल राजस्थान पुलिस वैबसाइट पर उपलब्ध करावें।

महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक— न-5(4) पु.फो./कानि. भर्ती/11/5152

दिनांक 28.09.2012

कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक भर्ती 2012 हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/बटालियन/यूनिट में कान्स्टेबल सामान्य एवं कान्स्टेबल चालक के 10000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (online) राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क एवं जनसुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर दिनांक 08.10.2012 से भरे जा सकते हैं।

भर्ती हेतु रिक्त स्थानों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 4/2012 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थाई आदेश संख्या 4/2012 दिनांक 17-09-2012 में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

(क) भर्ती हेतु आवेदन online application form में लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (common service centre) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु+ रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर वेबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in के माध्यम से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र/हार्ड कापी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ख) परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल नकद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी।

(ग) आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से विभाग को देगा। परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि एवं जिला/यूनिट/बटालियन जिसमें आवेदन कर रहा है भरेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नम्बर जारी किया जायेगा जो कि अभ्यर्थी के लिए एक रसीद का कार्य करेगा। साथ ही साथ यह टोकन नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंकित (enter) करना अनिवार्य होगा। टोकन नम्बर अंकित (enter) किये बिना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।

(घ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5x3.5 सेमी.) फोटोग्राफ ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लाए। ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर अभ्यर्थी के लिए वैब-कैमरे से फोटो खींचने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए आवेदक को रुपये 5/- अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(ड.) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है।

नोट—

- (1) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं।
- (3) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (4) online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (5) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्वधीन परिवर्तनीय होगी।
- (6) विशेष पिछड़ा वर्ग(एस.बी.सी.) के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपना मूल वर्ग (एस.बी.सी.) अंकित करें ताकि मेरिट में आने पर अपने वर्ग के अलावा ओबीसी वर्ग में चयन का लाभ प्राप्त हो सके।।

2. आवेदन-पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक—

- (क) परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक 06.11.2012 है।
- (ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2012 को रात्रि 12-00 बजे तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

3. परीक्षा शुल्क—

- (क) सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 200/-
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 150/-
(केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)

नोट — ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप से आवेदकों को देने होंगे।

4. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र —

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (download) करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक एवं ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र पर परीक्षा शुल्क जमा कराने पर दिया गया टोकन नम्बर का उपयोग करेंगे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद-

जिला/बटालियन/यूनिट में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

रिक्त पदों का विवरण (कान्स्टेबल सामान्य)								
क्र.सं.	जिला,यूनिट, बटालियन	सामान्य	ओबीसी	एसबीसी	एससी	एसटी	सहरिया	योग
1	आयुक्तालय जयपुर	450	176	12	160	47	0	845
2	जिला जयपुर ग्रामीण	37	23	2	51	0	0	113
3	जिला दौसा	148	45	2	20	0	0	215
4	जिला सीकर	119	47	2	36	23	0	227
5	जिला झुंझुनू	125	48	2	34	23	0	232
6	जिला अलवर	271	99	6	59	38	0	473
7	जिला भरतपुर	137	57	3	47	32	0	276
8	जिला सवाईमाधोपुर	118	40	2	29	2	0	191
9	जिला करौली	150	49	2	34	0	0	235
10	जिला धौलपुर	78	31	2	27	12	0	150
11	जिला अजमेर	136	62	4	58	36	0	296
12	जिला नागौर	147	62	4	46	37	0	296
13	जिला भीलवाडा	131	57	3	50	35	0	276
14	जिला टोंक	70	23	1	13	7	0	114
15	जिला उदयपुर	109	24	2	29	62	0	226
16	जिला बांसवाडा	79	0	0	7	74	0	160
17	जिला चित्तौड़गढ़	96	32	1	12	13	0	154
18	जिला डुंगरपुर	44	0	0	1	38	0	83
19	जिला प्रतापगढ़	36	0	0	0	81	0	117
20	जिला राजसमन्द	75	27	1	16	12	0	131
21	आयुक्तालय जोधपुर	161	57	2	44	12	0	276
22	जिला जोधपुर ग्रामीण	126	54	3	44	32	0	259
23	जिला बाडमेर	123	49	2	44	29	0	247
24	जिला जैसलमेर	102	36	1	26	11	0	176
25	जिला जालौर	96	37	1	27	17	0	178
26	जिला पाली	89	31	2	23	4	0	149
27	जिला सिरोही	88	36	1	28	23	0	176
28	जिला कोटा शहर	151	60	3	32	44	0	290
29	जिला कोटा ग्रामीण	39	18	1	16	12	0	86
30	जिला बूंदी	115	43	2	24	23	0	207
31	जिला बांरा	19	2	2	0	0	196	219
32	जिला झालावाड	151	55	3	32	23	0	264

33	जिला बीकानेर	154	63	3	44	40	0	304
34	जिला चुरू	97	41	2	33	25	0	198
35	जिला श्रीगंगानगर	113	44	2	39	14	0	212
36	जिला हनुमानगढ़	81	33	2	28	15	0	159
37	स्टेट स्पेशल ब्रान्च जयपुर	9	5	0	4	3	0	21
38	नवसृजित 13वीं आरएसी बटालियन (जेल सुरक्षा) चैनपुरा जयपुर (भर्ती पांचवी बटालियन आरएसी जयपुर द्वारा)	457	189	9	145	107	0	907
39	राज्य आपदा प्रतिसाद दल (भर्ती द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा द्वारा)	400	168	8	128	96	0	800
	योग	5127	1923	100	1490	1102	196	9938
रिक्त पदों का विवरण (कान्स्टेबल चालक)								
क्र.सं.	जिला,यूनिट, बटालियन	सामान्य	ओबीसी	एसबीसी	एससी	एसटी	सहरिया	योग
1	जिला जैसलमेर	6	0	0	2	2	0	10
2	जिला कोटा शहर	2	1	0	4	1	0	8
3	जिला बांरा	0	0	0	0	0	11	11
4	जिला गंगानगर	9	3	0	2	4	0	18
5	स्टेट स्पेशल ब्रान्च जयपुर	0	0	0	6	0	0	6
6	जिला सवाई माधोपुर	4	1	0	1	0	0	6
7	जिला करौली	3	0	0	0	0	0	3
	योग	24	5	0	15	7	11	62
	कुल योग	5151	1928	100	1505	1109	207	10000

नोट:- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(20)कार्मिक/क-2/01/पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया (जिला बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देय नहीं है)

6. आरक्षण-

(क) महिलाओं के लिए:-

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/ 88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

किसी वर्ग-विशेष में पात्र महिला अभ्यर्थी अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्पूर्ति वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण- विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी/सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी/सहरिया) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी/सहरिया) का होगा उसी वर्ग के पदों से समायोजित किया जावेगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम, 1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्त बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्त को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्त आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्त जिसे इस प्रकार आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रणीत की जाएगी, तदुपरान्त प्रश्नास्पद रिक्त अनारक्षित मानी जाएगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण- भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(8) डीओपी/ए-2/2008 दिनांक 06.05.10 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट में नहीं आने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए एक प्रतिशत आरक्षण की गणना कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प-7(8) कार्मिक/क-2/08 दिनांक 20.07.2012 के प्रावधानानुसार की गयी है।

(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए:-

- (i) जिला उदयपुर एवं सिरोही के उन क्षेत्रों जिन्हें ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।
- (ii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए कुल रिक्त स्थानों में निम्नानुसार पद आरक्षित है:-

जिले का नाम	पद	स्थानीय अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद (एससी)	स्थानीय अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद (एसटी)
जिला उदयपुर	कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी	10	62
जिला सिरोही	कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी	0	6
जिला प्रतापगढ़	कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी	0	81
जिला बांसवाड़ा	कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी	7	74
जिला डूंगरपुर	कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी	1	38

- (iii) जिला बांरा की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत रिक्तियां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से एवं शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों से 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ी जातियों से 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग से 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

(ङ) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प-5(31) कार्मिक क-2/84/ 23.09.97 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा और इसका सामायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण- उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ फ़ेडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में, प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो:-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेश खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईएम) या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी-

राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा/एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

7 वेतनमान और पेंशन-

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 6100/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् नियमानुसार कानिस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला 5200-20200 (ग्रेड पे-1900) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कानिस्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट-

- (i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी. बटालियन	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

नोट-

जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iv) आयु सीमा-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2)/डीओपी/ए-2/84-पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2013 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.1995	02.01.90	02.01.85
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	01.01.1995	02.01.85	02.01.80
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.1995	02.01.87	02.01.82
भूतपूर्व सैनिक	01.01.1995	02.01.71	02.01.71

(v) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बांरा जिले के शाहबाद एवं किशनगंज सहरिया अदिवासियों के लिए मापदण्ड	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए-81से.मी. फुलाने पर-86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए-74से.मी. फुलाने पर-79से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं

वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.
---------------------------	-----------	---------------	-----------	-------------

नोट-

- i यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
- ii पहाड़ी एवं आदिवासी (दोनों शर्तें अनिवार्य) के अभ्यर्थियों के लिए नियम-14(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।

(vi) चिकित्सकीय मापदण्ड-

- (i) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
- (ii) अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- (iii) अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसों फूली हुई होना (varicose veins), भैगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. नियुक्ति के लिए अयोग्यता-

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नि जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ति प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

- (iv) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

(v) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(vi) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित(डीबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(viii) नैतिक अद्यमता (moral turpitude) के अपराध में दोषसिद्ध अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

(ix) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 782/2004 राज्य सरकार व अन्य बनाम मोहम्मद सलीम के निर्णय दिनांक 10.12.2009 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1687 दिनांक 29.04.95 को विधिसम्मत माना है। उक्त निर्णय की अनुपालना में राजस्थान पुलिस में भर्ती हेतु वे अभ्यर्थी ही पात्र माने जायेंगे जिन्हें-

आपराधिक प्रकरणों में नैतिक अनाचरण (moral turpitude) एवं हिंसात्मक गतिविधि (violent act) का नहीं माना गया हो तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा सःसम्मान दोषमुक्त (honourably acquitted) किया गया हो।

(x) कानिस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कानि.सामान्य	कानि. ड्राइवर
लिखित परीक्षा	75	75
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड, कम्प्यूटर ज्ञान)-प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100

(i) लिखित परीक्षा-

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी। **लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।** परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एवं तार्किक योग्यता' के

प्रश्नों से सम्बन्धित 30 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 15 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि विषयों पर आधारित 30 अंक का होगा।

इस परीक्षा में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व एसबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत तथा ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं बारों जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के निवासी सहरिया आदिम जाति के लिए उत्तीर्णांक 25 प्रतिशत प्रश्न-पत्र के प्रत्येक भाग में अलग-अलग निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

भाग 'अ' के प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होगा तथा इसके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर ¼ अंक काटा जायेगा। भाग 'ब' एवं 'स' के प्रत्येक प्रश्न ½ अंक के होंगे। इनके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर का ⅛ अंक काटा जाएगा।

लिखित परीक्षा की सूचना एवं परिणाम वेबसाईट www.exampolice.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/ यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

(ii) मापतोल एवम शारीरिक दक्षता परीक्षा-

सम्बन्धित जिला/बटालियन की वर्गवार रिक्तियों के विरुद्ध आवेदित अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तोल व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तोल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों का विभाजन निम्नानुसार है:-

पदनाम	पुरुष			महिला			भूतपूर्व सैनिक			सहरिया एवं ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु. जाति/अनुजनजाति		
	टेस्ट	समय	अंक	टेस्ट	समय	अंक	टेस्ट	समय	अंक	टेस्ट	समय	अंक
कान्स्टेबल सामान्य	10 किमी. दौड़	50 मिनट से कम	15	5 किमी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट	15	5 किमी. दौड़	अधिकतम 30 मिनट	15	5 किमी. दौड़	25 मिनट से कम	15
		50 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 55 मिनट से कम	10								25 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 27 मिनट से कम	10
		55 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 60 मिनट तक	7								27 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 30 मिनट तक	7
कान्स्टेबल चालक	10 किमी. दौड़	50 मिनट से कम	10	5 किमी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट	10	5 किमी. दौड़	अधिकतम 30 मिनट	10	5 किमी. दौड़	25 मिनट से कम	10
		50 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 55 मिनट से कम	7								25 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 27 मिनट से कम	7
		55 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 60 मिनट तक	5								27 मिनट एवं इससे अधिक किन्तु 30 मिनट तक	5

		मिनट तक									मिनट तक	
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

अपील-

शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी चयन बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नगद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उसका लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति उसी दिन पूर्ण की जावेगी।

नोट- अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) दक्षता परीक्षा (केवल कान्स्टेबल ड्राइवर के लिए)-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होंगे। कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-

कान्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे:-

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	5
2	बी- प्रमाण पत्र	3
3	ए- प्रमाण पत्र	2

(एन.सी.सी. के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे)

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	दो वर्ष से अधिक समय तक बोर्डर होमगार्ड में सेवा देने पर	3
2	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक होमगार्ड में सेवा देने पर	2
3	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष से अधिक होमगार्ड में सेवा देने पर	1

(होमगार्ड के लिए अधिकतम 3 अंक दिये जायेंगे)

कम्प्यूटर योग्यता

क्र.सं.	कम्प्यूटर कोर्स (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से)	अंक
1	संस्था का नाम	कोर्स का नाम
	DOEACC GOI से मान्यता प्राप्त संस्था	ओ,ए,बी और सी लेवल या इससे उच्च स्तर का कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण
		2

2	आर.के.सी.एल (राजस्थान नालेज कार्पोरेशन लि.)	राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी(RS-CIT) उत्तीर्ण	1
---	---	---	---

(कम्प्यूटर योग्यता के लिए अधिकतम 2 अंक दिये जायेंगे)

(v) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा) के अंकों का योग 45 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए, 40 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए तथा 35 प्रतिशत ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जनजाति निवासियों के लिए एवं बारों जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के निवासी सहरिया आदिम जाति के लिए उत्तीर्णांक 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने पर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता क्रम में चयन सूची तैयार की जावेगी। सम्भावित रिक्त पदों के विरुद्ध चयन किये गये अभ्यर्थियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील- उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-

- समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- यदि आवेदक मृतक पुलिस कर्मी का आश्रित है तो मृतक पुलिस कर्मी, जिसकी कर्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हुई हो, उसके आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
- अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प-5(31) कार्मिक/क-2/84 दिनांक 23.09.97 के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो

- उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र। इसके अलावा राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप चाहा गया प्रमाण पत्र।
- (viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र ।
 - (ix) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) फोटो।
 - (x) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
 - (xi) कानिस्टेबल ड्राइवर हेतु स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV/HMV) की मूल प्रति।
 - (xii) एनसीसी, राजस्थान होमगार्ड एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान का कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 के अन्तर्गत सैक्शन (i) व (iv) में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (ii) जिस जिला/बटालियन/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार्य होंगे।
- (iii) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी।
- (iv) निरस्त किए गये आवेदन-पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (v) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (vi) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है।
- (ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (x) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- (xi) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी पुलिस मुख्यालय का स्थायी आदेश 4/2012 एवं यह विज्ञप्ति वैबसाइट www.exampolice.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा/कारागार, राज. जयपुर।
- 2 समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
- 4 आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को (मय 8 प्रतियों में) प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को कम से कम दो राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें।
- 5 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर।
- 6 समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. बटालियन।
- 7 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राईविंग स्कूल, बीकानेर।
- 8 उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान, जयपुर।
- 10 निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 12 प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।